दिनांकः 19.07.2022

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
करौली

विषय :– संपर्क सड़क कोटा से पाटोर किलोमीटर 0/0 से 3/0 के फोरेस्ट क्लियरेंस प्रस्ताव संख्याः FP/RJ/ROAD/35272/2018 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक एफ ( ) एफ.सी.ए./उ.व.सं./2019–20/268 दिनांकः 23.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव **कोटा से पाटोर सड़क के फोरेस्ट क्लियरेंस** प्रस्ताव संख्याः FP/RJ/ROAD/35272/2018 का आप द्वारा अवलोकन किया जाने के उपरांत आप द्वारा उक्त प्रस्ताव में निम्न कमियाँ बताई गई जिनकी पूर्ति कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	एफ.आर.ए. प्रपत्र संलग्न नहीं है।	एफ.आर.ए. प्रपत्र की कार्यवाही प्रकियाधीन है। तथा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न राजस्व खसरा मैप पर प्रस्तावित सड़क को नहीं दर्शाया गया है और न ही चैनेजवार विवरण दिया गया है।	राजस्व खसरा मैप पर प्रस्तावित सड़क को दर्शाया जाकर चैनेजवार विवरण देकर संशोधित खसरा मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में प्रस्तावित सड़क का क्रॉस–सैक्शन संलग्न नहीं किया गया है।	क्रॉस–सैक्शन संलग्न कर दिया गया है।
4	इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार प्रस्तावित सड़क ग्राम बीजलपुर व कोटा की वन भूमि में से गुजरना पाया गया है, जबकि प्राप्त प्रस्ताव में ग्राम पाटोर, कंवरपुर व कोटा में गुजरना बताकर सिर्फ ग्राम कंवरपुर की वन भूमि से ही गुजरना बताया गया है। अतः प्रस्तावित सड़क को वर्णित तीनों ग्रामों के राजस्व मैप पर दर्शाकर भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावित सड़क पाटोर व कंवरपुर ग्रामों के राजस्व मैप पर दर्शाकर संशोधित खसरा मेप संलग्न कर दिया गया है।
5	STATEMENT SHOWING DETAILS OF FOREST AREA & NON FOREST AREA PROPOSED FOR DIVERSON में FOREST AREA & NON FOREST AREA को एक ही खसरे में दर्शाया गया है जबकि अलग अलग खसरो में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आक्षेपों को निस्तारित कर अविलम्ब प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने का श्रम करावें जिससे कोटा से पाटोर सड़क के निर्माण में देरी न हो और आम जनता को राहत मिल सकें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

अधिशाषी अभियन्ता
सा॰ नि॰ वि॰ खण्ड–सपोटरा
जिला–करौली